UPSI010013732026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं03, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–21/2026

सी0 आई 0 एस 0 नं0– 628/2026

रहमतुन पत्नी स्व० शफीक निवासी शिवथाना, थाना मानपुर, जिला सीतापुर।

------**अभियुक्ता**

बनाम

सरकार -----**अभियोजन**

मुकदमा अपराध संख्या–122/2024
धारा–2/ 3 उ०प्र०गैगेस्टर एक्ट
थाना– मानपुर, जिला सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्राथना–पत्र

1. अभियुक्ता रहमतुन की ओर से मु०अ०सं०–122/2024 धारा– 2/ 3 उ०प्र० गैगेस्टर एक्ट, थाना मानपुर, जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्ता की ओर से शपथकर्ता केशव राम द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदिका/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया है और न ही लम्बित है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथानक इस प्रकार हैं कि थाना स्थानीय के अभिलेखों के अवलोकन एवं परिशीलन से पाया कि दिनांक 20.04.2024 को मैं थानाध्यक्ष दिलीप कुमार चौबे मय हमराह आरक्षी विनीत कुमार सिंह मय एक जरब इन्सास मय 20 अदद कारतूस व आरक्षी अमित कुमार मांगट के साथ मय जीप सरकारी सूमों नं0 यूपी 34 जी 0555 चालक आरक्षी प्रवेश कुमार के साथ थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित/वारण्टी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर होकर मारू बाजार पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राधेलाल उर्फ सन्तू पुत्र कालिका नि०ग्रा० शिवथाना थाना मानपुर जनपद सीतापुर का एक संगठित गिरोह है जिसका गैंगलीडर वह स्वयं है तथा इसका सदस्या रहमतुन पत्नी स्व० शफीक नि०ग्रा० शिवथाना थाना मानपुर जनपद सीतापुर है। यह गैंग अपने साथी के साथ मिलकर हत्या जैसा अपराध कारित करता है। इस गैंग के विरुद्ध जनता को कोई भी व्यक्ति गवाही देने व मुकदमा लिखाने का साहस नहीं कर पाता है। इस गैंग के विरुद्ध थाना मानपुर में मु0 अ 0 सं0 342/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत है जिसमें आरोप पत्र संख्या 321/23 दिनांक 17.09.2023 को मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है। उक्त गैंग भादवि के अध्याय 16 में वर्णित अपराध आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए कारित करता है। इस गैंग के उक्त आपराधिक कृत्य के कारण जनता में भय व आतंक व्याप्त है। उक्त गैंग की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पूर्व में तैयार कराकर भेजा गया गैंग चार्ट श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अनुमोदित कराया गया। अतः गैंग लीडर राधेलाल उर्फ सन्तू उपरोक्त व इसकी सदस्या रहमतुन उपरोक्त की आपराधिक क्रियाकलाप पर अंकुश लगाने हेतु उ०प्र० गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 2/3 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में थाना पुलिस मानपुर द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा फंसाया गया है जबकि वह निर्दोष है। यह कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध एक मात्र मुकदमा अ 0 सं0 342/2023 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी. थाना मानपुर में दर्ज कर उक्त मुकदमें के वादी द्वारा पूर्णतया

असत्य तथ्यों के आधार पर रंजिशन दर्ज कराया गया है। जिसमें प्रार्थिनी/ अभियुक्ता जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध है।पुलिस थाना मानपुर द्वारा मात्र उपरोक्त मुकदमें को आधार बनाकर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई जो कि दुर्भावपूर्ण है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का भविष्य बबार्द करने की नियत से पुलिस द्वारा उपरोक्त कार्यवाही मनमाने ढंग से की गई है। जबकि प्रार्थिनी/अभियुक्ता का न तो कोई गिरोह है न ही प्रार्थिनी किसी गिरोह की सदस्य है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का समाज व क्षेत्र में कोई भय आतंक नहीं है। न ही समाज व क्षेत्र में किसी व्यक्ति/आम नागरिक को प्रार्थिनी से कोई जान व सम्पत्ति का कोई खतरा है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता कोई भी समाज विरोधी कार्य नही करती है और हमेशा संवैधानिक परिपेक्ष में रहकर जीवन यापन करती है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता 07.09.2023 से जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध है तथा प्रार्थिनी का उपरोक्त एक मात्र मुकदमें के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का न्यायालय श्रीमान जी केसमक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त न्यायालय श्रीमान जी में अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में कोई भी जमानत का प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा करने की याचना की गई है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है और तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता गैंग की सदस्य है। यदि अभियुक्ता को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह पुनः आपराधिक कृत्यों में शामिल हो जायेगी। अतः अभियुक्ता को जमानत प्रदान किया जाना उचित नहीं होगा।

6. उभय पक्ष के तर्को को सुना एवं उपलब्ध कराये गए अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

7. प्रार्थिनी/अभियुक्ता को गैंग का सदस्य होना बताया गया है। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध अ०सं०–342/2023 अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० थाना मानपुर जनपद सीतापुर के मुकदमा पंजीकृत होना दर्शाया गया है। थाने की आख्यानुसार भी अभियुक्ता पर उपरोक्त उल्लिखित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हैं। अभियुक्ता व अन्य अभियुक्तगण का संगठित गिरोह होना एवं उसके द्वारा भौतिक व आर्थिक दुनियावी लाभ हेतु भा०दं०वि० के अध्याय 16 में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्थ अपराधी हैं। गैंग चार्ट के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्ता पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित करने का अपराध पंजीकृत किया गया हैं। ऐसी स्थिति में यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः किसी आपराधिक कृत्यों में शामिल नहीं होगी। अतः मामले की गम्भीरता व तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता रहमतुन की ओर से मु०अ०सं०–122/2024 धारा– 2/ 3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट, थाना मानपुर, जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(अवनीश कुमार–I)
दिनांक–12.03.2026
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं–3, सीतापुर।
J.O.Code UP02737

पंकज/–

Awanish Kumar

Digitally signed by Awanish Kumar
Date: 2026.03.16 17:10:45 +05'30'